उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 111/2015 /886/71-1-2015-ग-1/2012
लखनऊ : दिनांक 08 मई, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि डा0 राकेश सक्सेना, सेवानिवृत्त आचार्य, सर्जरी विभाग, मेडिकल कालेज, गोरखपुर को कार्यालय ज्ञाप संख्या-1975/71-1-14-ग-01/2014, दिनॉक 10-07-2014 द्वारा संविदा के आधार पर मेडिकल कालेज, गोरखपुर में आचार्य, सर्जरी के पद पर 01 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के पत्र संख्या-एम0ई0-2/2015/758, दिनॉक 27-04-2015 में की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय डा0 राकेश सक्सेना, आचार्य (संविदा), सर्जरी विभाग, मेडिकल कालेज, गोरखपुर की संविदा अवधि दिनॉक 16-07-2015 के पश्चात् 01 वर्ष अथवा नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए इस प्रतिबन्ध सहित बढ़ाए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि प्रश्नगत पद अभी भी रिक्त है।

2- यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि डा0 राकेश सक्सेना:-

(1) ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
(2) प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में प्राइवेट प्रैक्टिस करने के स्थान को निर्दिष्ट करेंगे।
(3) मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।
(4) प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे।
(5) निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ के हकदार न होंगे।
(6) स्थानान्तरित नहीं किए जायेंगे।
(7) संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे, न ही ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस पायेंगे।

3- शासनादेश संख्या-4661/71-1-08-जी-63/2008, दिनॉक 15-12-2008, शासनादेश संख्या-909/71-1-13-जी-11/2011, दिनॉक 11-04-2013 तथा शासनादेश संख्या-सी0एम0-03/71-1-2014-जी-63/08, दिनॉक 22-01-2015 में निर्धारित शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

संजय कुमार उपाध्याय
संयुक्त सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:- 111/2015/886(1)/71-1-2015- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
4- कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
6- संबंधित चिकित्सा शिक्षक।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।